न्यायालय– अति0 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, रावतसर जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी	–	हेतराम मूंड, आर.जे.एस.
मुकदमा संख्या	–	08/2024
सीआईएस संख्या	–	08/2024
CNR	–	RJHG120000282024

प्रदीप कुमार पुत्र संतलाल उर्फ सत्यनारायण, निवासी वार्ड नम्बर 04 बुधवालिया, तहसील रावतसर, जिला हनुमानगढ़।

– परिवादी

बनाम

नरेश कुमार पुत्र मोहनलाल, निवासी देईदास, तहसील नोहर, जिला हनुमानगढ़।

– अभियुक्त

अपराध अन्तर्गत धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम

प्रतिनिधित्व –

1– श्री सुनील धारीवाल, श्री पृथ्वीराज देहडू, श्री रविन्द्र पारीक, विद्वान अधिवक्ता वास्ते परिवादी।

2– श्री सुनील प्रकाश सहू, श्री अशोक कुमार, विद्वान अधिवक्ता वास्ते अभियुक्त।

न्यायालय द्वारा – निर्णय – दिनांक– 01–06–2026

1. प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार से हैं कि दिनांक 04–10–2023 को परिवादी प्रदीप कुमार ने अभियुक्त नरेश कुमार के विरुद्ध धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के अन्तर्गत एक परिवाद इस आशय का पेश किया कि परिवादी की अभियुक्त के साथ मित्रता एवं अच्छी जान–पहचान होने के कारण अभियुक्त ने दिनांक 01–05–2022 को 2,00,000/– रुपये की जायज जरूरत हेतु आवश्यकता जाहिर की, जिस पर परिवादी द्वारा दिनांक 05–05–2022 को परिवारजन, मित्र के समक्ष अभियुक्त को 2,00,000/– रुपये नगद सौंप दिये। परिवादी द्वारा उक्त रुपयों बाबत बार–बार तकाजा करने पर अभियुक्त ने अदायगी के क्रम में दिनांक 10–05–2023 को उक्त 2,00,000/– रुपये की राशि का एक चैक, चैक संख्या 000034 बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा नोहर पर जारी एवं हस्ताक्षरित करके बमुकाम नोहर में दिया। जिसके भुगतान का अभियुक्त ने परिवादी को विश्वास दिलाया। परिवादी ने भुगतान प्राप्त करने हेतु उक्त चैक को अपने बैंक खाता पंजाब नेशनल बैंक शाखा चाईया में दिनांक 01–08–2023 को प्रेषित किया। पंजाब नेशनल बैंक शाखा चाईया ने उक्त चैक को समाशोधन हेतु जरिये ऑनलाईन सीटीएस प्रणाली के माध्यम से बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा नोहर में प्रेषित किया। बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा नोहर में

अभियुक्त के खाता में उक्त चैक के भुगतान योग्य निधि जमा न होने के कारण पंजाब नेशनल बैंक शाखा चाईया ने दिनांक 03–08–2023 को उक्त चैक अनादरित कर मय चैक वापसी ज्ञापन जिस पर Funds Insufficient का पृष्ठांकन कर उक्त चैक मय चैक वापसी ज्ञापन सहित बिना भुगतान किये परिवादी को वापिस लौटा दिया। अभियुक्त द्वारा परिवादी के पक्ष में अदायगी के क्रम में जारी एवं हस्ताक्षरित चैक बिना भुगतान किये अनादरित कर लौटाये जाने के पश्चात परिवादी ने अपने अधिवक्ता के मार्फत अभियुक्त के रजिस्टर्ड पते पर विधिक नोटिस दिनांक 23–08–2023 को जरिये रजिस्टर्ड डाक मय अभिस्वीकृति रसीद प्रेषित किया जो दिनांक 25–08–2023 को अभियुक्त के रजिस्टर्ड पता पर मिल चुका है। परिवादी के अधिवक्ता द्वारा प्रेषित नोटिस की सूचना अभियुक्त को मिलने के पश्चात भी अभियुक्त ने परिवादी के उक्त चैक की राशि अदा नहीं की है।

2. परिवाद पर प्रथम दृष्ट्या धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम का अपराध घटित होना पाए जाने से न्यायालय के द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध दिनांक 05–01–2024 को प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अभियुक्त को तलब किया गया।

3. दिनांक 27–05–2024 को अभियुक्त के न्यायालय में उपस्थित आने पर धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम का आरोप सारांश मौखिक रूप से सुनाया समझाया गया तो अभियुक्त ने आरोप से इन्कार कर अन्वीक्षा चाही।

4. परिवादी की ओर से मौखिक साक्ष्य में पी.डब्ल्यू.–1 के रूप में स्वयं परिवादी प्रदीप कुमार व पी.डब्लयू.–2 के रूप में काशीराम की साक्ष्य लेखबद्ध करवाई गई तथा दस्तावेजी साक्ष्य में निम्न दस्तावेज प्रदर्शित करवाये–

प्रदर्श दस्तावेजात्	**नाम दस्तावेजात्**
प्रदर्श पी 1	मूल चैक
प्रदर्श पी 2	चैक प्रेषित रसीद
प्रदर्श पी 3	चैक वापसी ज्ञापन
प्रदर्श पी 4	नकल नोटिस
प्रदर्श पी 5	रसीद रजिस्ट्री
प्रदर्श पी 6	ए.डी.
प्रदर्श पी 7	डाक वितरण रिपोर्ट
प्रदर्श पी 8	परिवाद पत्र
प्रदर्श पी 9 व 10	जमाबंदी की प्रति

5. अभियुक्त के कथन अंतर्गत धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता लेखबद्ध किये गए। अभियुक्त ने गवाह के बयानों को गलत होना बताते हुए रंजिशवश कथन करने का कथन

किया व कथन किया कि एक लाख रुपये दो महीने के लिये उधार लिये थे। सिक्योरिटी पेटे दो चैक सौंपे थे। चैक संख्या 33 व 34 केवल हस्ताक्षर कर खाली सौंपे थे। चैक संख्या 33 से परिवादी ने सैल्फ चैक से नगद भुगतान प्राप्त कर लिया था। चैक संख्या 34 को वापिस लौटाने का आश्वासन दिया था, लेकिन चैक संख्या 34 स्वयं ने भरकर झूठा मुकदमा किया है। इसकी कोई अदायगी शेष नहीं है। अभियुक्त ने साक्ष्य सफाई पेश नहीं करना जाहिर किया। प्रतिरक्षा स्वरूप अभियुक्त की ओर से मौखिक साक्ष्य में कोई साक्ष्य पेश नहीं की गई व परिवादी से जिरह के दौरान प्रदर्श डी 1 चैक की प्रति को प्रदर्शित करवाया।

6. परिवादी एवं अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता की बहस अंतिम सुनी गई तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन और अवलोकन किया गया। इस प्रकरण में विचारणीय बिंदु यह है कि–

1. **क्या अभियुक्त नरेश कुमार ने परिवादी की बकाया राशि के भुगतान पेटे एक चैक संख्या 000034 राशि 2,00,000/– रुपये दिनांकित 10–05–2023 का अपने हस्ताक्षर कर परिवादी को दिया जो निर्धारित समयावधि में परिवादी द्वारा भुगतान हेतु बैंक में प्रस्तुत किया गया। उक्त चैक अभियुक्त के खाता में "Funds Insufficient" होने के कारण अनादरित हो गया, जिसकी सूचना निर्धारित समयावधि में परिवादी द्वारा अभियुक्त को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस दी गई परंतु बावजूद नोटिस भी अभियुक्त ने चैक में वर्णित राशि परिवादी को अदा नहीं की?**
2. **यदि हां तो अभियुक्त का वर्णित अपराध हेतु उचित दण्ड क्या हो?**

7. विद्वान अधिवक्ता परिवादी द्वारा दौराने बहस तर्क दिया गया कि परिवादी द्वारा धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के तहत अपराध गठित किये जाने संबंधी सभी शर्तों का पालन किया गया है। अभियुक्त द्वारा नोटिस प्राप्ति के बावजूद न तो चैककृत राशि की अदायगी की है और ना ही नोटिस का जवाब भिजवाया है। अभियुक्त ने ही विवादित चैक पर अपने हस्ताक्षर कर परिवादी को सुपुर्द किया था जो कि भुगतान हेतु प्रस्तुत किये जाने पर "Funds Insufficient" के नोट सहित परिवादी को प्राप्त हो गया और विधिक नोटिस भिजवाये जाने पर अभियुक्त द्वारा कोई विशिष्ट बचाव नहीं लिया गया है, ना ही जवाब नोटिस प्रेषित किया है। परिवादी की मुख्य परीक्षा बचाव पक्ष द्वारा उससे की गयी जिरह में पूर्णतः अखंडित रही है। अभियुक्त ने अपनी प्रतिरक्षा को अपनी मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य से साबित नहीं किया है। धारा 139 परक्राम्य लिखत अधिनियम की उपधारणा परिवादी के पक्ष में है। ऐसी स्थिति में परिवादी परक्राम्य लिखत अधिनियम के अधीन उपधारणा को अपने पक्ष में साबित करने में सफल रहा है। अंत में अभियुक्त को आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम में दोषसिद्ध किये जाने का निवेदन किया गया। अपने तर्कों के समर्थन में निम्न सम्मानित न्यायिक दृष्टांत पेश किये–

1– Bir Singh Vs Mukesh Kumar [Criminal Appeal Nos. 230–231 of 2019 (@ SLP(Crl) Nos. 9334–35 of 2018); Decided on 06.02.2019]

2– रंगप्पा बनाम श्री मोहन, आपराधिक अपील संख्या 1020 वर्ष 2010 (एसएलपी (आपराधिक) संख्या 407 वर्ष 2006 से उत्पन्न) निर्णय की तिथि 07–05–2010

8. इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा बहस के दौरान तर्क दिए गए हैं कि अभियुक्त ने दो माह के लिये परिवादी से एक लाख रुपये उधार लिये थे। जिसके सिक्योरिटी पेटे दो चैक सौंपे थे व केवल हस्ताक्षर कर खाली सौंपे थे। परिवादी ने अभियुक्त के एक चैक से भुगतान प्राप्त कर लिया था, लेकिन दूसरे चैक को स्वयं परिवादी ने भरकर अभियुक्त के खिलाफ झूठा मुकदमा किया है। अभियुक्त की परिवादी के प्रति कोई अदायगी शेष नहीं है। अंत में अभियुक्त को धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के आरोपित अपराध में दोषमुक्त घोषित किये जाने का निवेदन किया। विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त ने अपने तर्कों के समर्थन में निम्न सम्मानित न्यायिक दृष्टांत पेश किए–

1– Dashrathbhai Trikambhai Patel Vs Hitesh Mahendrabhai Patel and Another AIR 2022 SUPREME COURT 4961

2– M/s. Kumar Exports Vs M/s. Sharma Carpets. AIR 2009 SUPREME COURT 1518

3– Krishna Janardhan Bhat Vs Dattatraya G. Hegde. AIR 2008 SUPREME COURT 1325

9. उक्त विचारणीय बिन्दु की रोशनी में पत्रावली का अवलोकन किया गया। विद्वान अधिवक्ता उभय पक्ष द्वारा प्रस्तुत सम्मानित न्यायिक दृष्टांत का ससम्मान अवलोकन कर मार्गदर्शन प्राप्त किया गया। उक्त विचारणीय बिन्दु के संबंध में पत्रावली का अवलोकन किया जावे तो उभय पक्षों की ओर से चैक अभियुक्त के बैंक खाते का होने, चैक पर अभियुक्त के हस्ताक्षर होने, चैक की वैधता अवधि के दौराने बैंक में समाशोधन हेतु प्रस्तुत करने, चैक "Funds Insufficient" के रिमार्क के साथ अनादरित होने से संबंधित तथ्यों के संबंध में विवाद नहीं किया गया है। अतः इन तथ्यों की हद तक उभय पक्षों की ओर से दिये ये तर्कों व प्रस्तुत साक्ष्य का उल्लेख व विवेचन करने की आवश्यकता नहीं है।

10. विचारणीय बिन्दु के संबंध में न्यायालय द्वारा सर्वप्रथम यह अवधारित किया जाना है:–

(क) क्या परिवादी के पक्ष में परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 139 के तहत यह उपधारणा का सृजन हुआ है?

उपधारणा के सृजन के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने न्यायिक दृष्टांत– **Aps forex services pvt. Ltd. V/s Shakti International fashion, 202 SCC Online SC 193** में यह मार्गदर्शन प्रदान किया है कि "Section 139 of the Act is an example of reverse onus clause and therefore once the issuence of the cheque has been admitted and even the signature on the cheque has been admitted there is always a presumption in favour of the complainant that there exists a legally enforceable

debt or liability and thereafter it is for the accused to rebut such presumption by leadint evidence." इसी प्रकार माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने नवीनतम न्यायिक दृष्टांत **Triyambak S. Hegde vs Sripad Criminal appeal Nos. 849850 of 2011** दिनांकित 23–09–2021 में भी यह मार्गदर्शन प्रदान किया है कि it is clear that the respondent has not disputed the signature on the cheque. If that be the position, as noted by the courts below a presumption would arise under section 139 in favour of the applellant who was the holder of the cheque.

11. इस प्रकार अभियुक्त के द्वारा चैक पर स्वयं के हस्ताक्षर नहीं होने की प्रतिरक्षा नहीं करने से परिवादी के पक्ष में उपधारणा का सृजन होता है। बशर्ते उपधारणा के सृजन के लिये परिवादी द्वारा प्रारम्भिक आधार तथ्यों को स्थापित किया गया हो। इस संबंध में पत्रावली का अवलोकन किया जाये तो प्रकरण में विवादित चैक प्रदर्श पी 1 दिनांकित 10–05–2023 का है, जो वैधता अवधि के दौरान समाशोधन हेतु परिवादी द्वारा अपने बैंक में प्रस्तुत किया जाना अपने परिवाद व शपथ पत्र में अंकित किया गया है। चैक पर अभियुक्त द्वारा अपने हस्ताक्षर होने का तथ्य किसी भी स्तर पर विवादित नहीं किया गया है। चैक अभियुक्त के बैंक द्वारा दिनांक 03–08–2023 को "Funds Insufficient" के रिमार्क के साथ अनादरित किया गया है। उक्त तथ्य अनादरण मीमो प्रदर्श पी 3 से प्रकट होता है। परिवादी द्वारा चैक अनादरण की सूचना प्राप्त होने के अंदर मियाद 30 दिवस अभियुक्त को चैक अनादरण की सूचना देने व चैक राशि की मांग करने के लिये नोटिस दिनांक 23–08–2023 को अपने अधिवक्ता के मार्फत प्रेषित करवाये जाने का तथ्य परिवाद पत्र में अंकित किया गया है, जिसके संबंध में विधिक नोटिस प्रदर्श पी 4, डाक रसीद प्रदर्श पी 5 व 6 दस्तावेजात प्रस्तुत किये गये हैं।

12. यद्यपि हस्तगत प्रकरण में अभियुक्त की किसी भी स्तर पर यह प्रतिरक्षा नहीं रही है कि उसे नोटिस प्राप्त नहीं हुआ। अतः यह भी स्वीकृत स्थिति है कि अभियुक्त को नोटिस प्राप्त हो गया। अतः पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज, धारा 27 जनरल क्लोजेज एक्ट, धारा 114 भारतीय साक्ष्य अधिनियम में उपबंधित उपधारणा से अभियुक्त को नोटिस की सूचना प्राप्त होने का तथ्य संदेह से परे प्रमाणित है।

13. इस प्रकार नोटिस की सूचना अभियुक्त को हो जाने से अंदर मियाद 15 दिवस चैक राशि का भुगतान परिवादी को नहीं करने पर वाद हेतुक उत्पन्न होने से परिवाद एक माह के भीतर पेश करना था, जो निर्धारित समयावधि में पेश किया गया है। ऐसे में चैक पर अभियुक्त द्वारा अपने हस्ताक्षर स्वीकृत होने व परिवादी के पक्ष में अधिनियम की धारा 139 के तहत उपधारणा का सृजन होता है।

क्या अभियुक्त द्वारा उक्त उपधारणा का खण्डन किया गया है?

14. इस संबंध में अभियुक्त को ऐसी प्रतिरक्षा प्रस्तुत करनी होगी, जिससे कि न्यायालय प्रतिरक्षा के अस्तित्व को स्वीकार कर सके या अभियुक्त द्वारा बताये गये कथन इतने संभाव्य हो कि कोई भी सामान्य प्रज्ञावान व्यक्ति भी इस तथ्य के अस्तित्व को स्वीकार

करे। यद्यपि सम्भावना की प्रधानता के आधार पर उक्त उपधारणा को खण्डित किया जा सकता है।

15. धारा 139 की उपधारणा को खण्डित करने के लिये अभियुक्त के पास दो साधन हैं। पहला परिवादी से जिरह या परिवादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से संदेह उत्पन्न करना तथा दूसरा स्वयं की ओर से साक्ष्य सफाई पेश करके। चूंकि हस्तगत प्रकरण में अभियुक्त ने साक्ष्य सफाई पेश नहीं की है। अतः परिवादी के पक्ष में उपधारणा को खण्डित करने के लिये परिवादी व उसकी ओर पेश गवाहों से की गई जिरह का ही अवलोकन करना सुसंगत प्रतीत होता है।

16. इस संबंध में स्वयं परिवादी पीडब्ल्यू 1 प्रदीप कुमार के बयानों का अवलोकन किया जाये तो गवाह परिवादी पीडब्ल्यू 1 प्रदीप कुमार ने अपनी मुख्य परीक्षा के शपथ पत्र में परिवाद में उल्लेखित तथ्यों की पुनरावृत्ति की है। ऐसे में उन तथ्यों को पुनः नहीं दौहराया जा रहा है। गवाह ने अपनी **प्रतिपरीक्षा** में कथन किया है कि इसका अपने दोस्त नरेश कुमार के साथ उक्त 2 लाख रुपये के अलावा भी लेनदेन हुआ था। इसने नरेश कुमार के साथ इससे पहले लेनदेन 20–30 हजार रुपये का दो–तीन बार किया था। इसने जो 20–30 हजार रुपये का लेनदेन किया था, उसके लिये कोई चैक नहीं लिया। इसने दिनांक 01–05–2022 को 2 लाख रुपये नहीं दिये। इसने जब नरेश कुमार को पैसे दिये थे, उस वक्त इनके साथ इसका पारिवारिक भाई काशीराम था। इस कथन को गलत बतलाया कि जब इसने पैसे दिये थे, नरेश कुमार ने उसी समय इसे चैक दिया हो। इस कथन को भी गलत बतलाया कि इसे नरेश कुमार ने खाली चैक दिया हो। इस कथन को सही बतलाया कि प्रदर्श पी 1 पर अभियुक्त नरेश कुमार के हस्ताक्षर अंग्रेजी में है और चैक पर इबारत हिन्दी में है। इस कथन को गलत बतलाया कि एसीबी में दर्ज मुकदमे में नरेश कुमार द्वारा इसके पक्ष में गवाही न देने की वजह से इसने खाली चैक का दुरुपयोग किया हो। इस कथन को गलत बतलाया कि यह सन 2023 में नरेश कुमार से मिला और एक लाख रुपये प्राप्त किये हो। प्रदर्श डी 1 पर ए से बी स्थान पर हस्ताक्षर इसके हैं। इस कथन को गलत बतलाया कि नरेश कुमार ने इससे एक लाख रुपये लिये और चैक संख्या 33 के द्वारा इसे एक लाख रुपये वापिस लौटा दिये हो और इसने चैक संख्या 34 के द्वारा नरेश कुमार के विरुद्ध झूठा मुकदमा चैक का दुरुपयोग कर पेश किया हो और नरेश कुमार द्वारा इसके विरुद्ध मुकदमा दर्ज करवाया हो।

17. प्रकरण के अन्य गवाह पीडब्ल्यू 2 काशीराम के बयानों का अवलोकन किया जाये तो इसने अपनी मुख्य परीक्षा में नरेश कुमार द्वारा प्रदीप कुमार से दिनांक 05–05–2022 को इसके सामने 2,00,000/– रुपये नगद प्राप्त करने व नरेश कुमार द्वारा जब नगद रुपये प्राप्त किये इसके मौजूद होने संबंधी साक्ष्य दी है। गवाह ने अपनी **प्रतिपरीक्षा** में कथन किया है कि प्रदीप किसी अन्य के साथ लेनदेन करता हो तो इसे नहीं बुलाता। अजखुद कहा कि उस दिन यह पास बैठा था। इस कथन को सही बताया कि प्रदीप पारीक चाईया ग्राम पंचायत का सरपंच रहा। प्रदीप ने नरेश को रुपये दिये, उस समय चैक कब लिया था, इसे ध्यान नहीं। प्रदीप ने जब नरेश को रुपये दिये थे, उस समय प्रदीप सरपंच नहीं था।

18. पत्रावली पर आई परिवादी की साक्ष्य का सूक्ष्म विश्लेषण व विवेचन करें तो परिवादी पीडब्ल्यू 1 प्रदीप कुमार ने मुलजिम नरेश कुमार को दो लाख रुपये दिनांक 05–05–2022 को नगद सौंपने और उक्त अदायगी के क्रम में दिनांक 10–05–2023 को चैक संख्या 000034 हस्ताक्षर कर इसको सुपुर्द करने के संबंध में कथन किये हैं। जबकि दौराने बहस मुलजिम के विद्वान अधिवक्ता ने चैक संख्या 000033 व 000034 रुपये उधार लेते समय केवल हस्ताक्षर कर मुलजिम को सौंपने के संबंध में तर्क दिया। परिवादी से मुलजिम के विद्वान अधिवक्ता द्वारा की गई जिरह का अवलोकन करें तो जिरह में गवाह ने इन कथनों को गलत बतलाया है कि अभियुक्त नरेश कुमार द्वारा इसे खाली चैक दिया हो। इसके अतिरिक्त इन कथनों को भी गलत बताया है कि यह सन 2023 में नरेश कुमार से मिला हो व एक लाख रुपये प्राप्त किये हो। गवाह ने अपनी जिरह में प्रदर्श डी 1 पर ए से बी स्थान पर अपने हस्ताक्षर होना भी स्वीकार किया है। अब यदि पत्रावली पर उपलब्ध प्रदर्श डी 1 का अवलोकन किया जाये तो उक्त प्रदर्श डी 1 चैक संख्या 000033 है जो दिनांक 30–04–2023 का होकर एक लाख रुपये राशि का है जो सेल्फ अदायगी हेतु जारी किया गया है। यह कि प्रदर्श डी 1 पर जो ए से बी हस्ताक्षर है, उक्त हस्ताक्षर परिवादी द्वारा अपने होना स्वीकार किया है। इसके अतिरिक्त यह कि जहां किसी चैक के तहत सेल्फ अदायगी के तहत बैंक द्वारा उक्त चैक राशि का भुगतान किया जाता है तो जिस व्यक्ति को उक्त चैक के तहत राशि अदा की जाती है। उसके हस्ताक्षर चैक की पुश्त पर करवाये जाते हैं। हस्तगत प्रकरण में प्रस्तुत दस्तावेज चैक प्रदर्श डी 1 की पुश्त पर परिवादी के हस्ताक्षर करवाये गये हैं और उक्त हस्ताक्षरों को परिवादी ने अपनी जिरह में अपने होना स्वीकार किया है, जिससे यह स्पष्ट है कि परिवादी द्वारा प्रदर्श डी 1 के तहत एक लाख रुपये की राशि प्राप्त की जा चुकी है। हालांकि जिरह में परिवादी ने अभियुक्त से एक लाख रुपये की राशि प्राप्त करने से इंकार किया है, लेकिन उक्त प्रदर्श डी 1 पर अपने हस्ताक्षर होने से इंकार नहीं किया है। न ही प्रदर्श डी 1 के तहत प्राप्त राशि के बारे में अपने परिवाद व मुख्य परीक्षा में कोई तथ्य अंकित किये हैं और न ही अपनी जिरह में प्रदर्श डी 1 पर अपने हस्ताक्षरों के संबंध में कोई स्पष्टीकरण दिया है और न ही प्रदर्श डी 1 के तहत प्राप्त होने वाली राशि के बारे में कोई स्पष्टीकरण दिया है। इस प्रकार प्रदर्श डी 1 के अवलोकन से यह तथ्य स्पष्ट है कि अभियुक्त की परिवादी के प्रति प्रश्नगत चैक प्रदर्श पी 1 को बैंक में पेश करते समय दो लाख रुपये की विधिक दैनदारी नहीं थी। इसके अतिरिक्त पत्रावली पर इस प्रकार की कोई साक्ष्य परिवादी की ओर से नहीं है, जिससे यह जाहिर होता हो कि प्रदर्श डी 1 के तहत परिवादी द्वारा प्राप्त राशि हस्तगत प्रकरण के तहत अदा की जाने वाली राशि से भिन्न थी। इस प्रकार परिवादी के परिवाद में उल्लेखित तथ्यों को मुलजिम, परिवादी से की गई जिरह व अपनी ओर से प्रस्तुत दस्तावेज प्रदर्श डी 1 के माध्यम से संदिग्ध बनाने में सफल रहा है। परिवादी पक्ष की ओर से प्रस्तुत सम्मानित न्यायिक दृष्टांत Bir Singh Vs Mukesh Kumar [Criminal Appeal Nos. 230–231 of 2019 (@ SLP(Crl) Nos. 9334–35 of 2018); Decided on 06.02.2019] के तथ्य हस्तगत प्रकरण के तथ्यों से भिन्न होने के कारण कोई सादर सहायता प्राप्त नहीं होती है।

19. इसके अतिरिक्त यह कि परिवादी द्वारा दिनांक 05–05–2022 को अभियुक्त को रुपये उधार देना बताया है और हस्तगत प्रकरण में चैक प्रदर्श पी 1 परिवादी द्वारा दिनांक 10–05–2023 को देना बताया है। जबकि पत्रावली पर आयी साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि परिवादी द्वारा जरिये चैक प्रदर्श डी 1 के तहत 1,00,000/– रुपये प्राप्त कर लिये थे। उक्त चैक प्रदर्श डी 1 हस्तगत प्रकरण के चैक से पूर्व में जारी किया हुआ है। ऐसे में यदि चैक प्रदर्श पी 1 अभियुक्त द्वारा ही भरकर परिवादी को दिया जाता तो 2,00,000/– रुपये का भरकर नहीं दिया जाता, इससे जाहिर होता है कि परिवादी द्वारा या तो स्वयं या किसी अन्य से अभियुक्त द्वारा दिये गये सिक्योरिटी पेटे चैक का विधिक दैनदारी से अधिक का भरकर या भरवाकर उसका उपयोग किया गया है।

20. इसके अतिरिक्त यह कि परिवादी ने अपनी जिरह में कथन किया है कि अभियुक्त से रुपये बाबत पांच–छह बार तकाजा किया था। गवाह ने तकाजे के समय काशीराम का अपने साथ होने का कथन किया है। जबकि उक्त काशीराम पीडब्ल्यू 2 के रूप में न्यायालय के समक्ष परीक्षित हुआ है। उसने अपनी जिरह में प्रदीप द्वारा रुपये देने के बाद नरेश के इससे कभी नहीं मिलने बाबत कथन किये हैं। उक्त दोनों गवाहों द्वारा किये गये उक्त प्रकार के कथनों से परिवादी के कथनों की सत्यता पर संदेह पैदा होता है।

21. हालांकि दौराने बहस परिवादी के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि प्रदर्श डी 1 के तहत परिवादी द्वारा राशि निकाल कर अभियुक्त को सुपुर्द कर दी थी, लेकिन ऐसी कोई साक्ष्य नहीं है कि प्रदर्श डी 1 के तहत राशि निकाल कर अभियुक्त को सुपुर्द कर दी गई हो। ऐसे में उक्त तर्क स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है। इसके अतिरिक्त यह कि दौराने बहस परिवादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रदर्श डी 1 के तहत परिवादी द्वारा रुपये बैंक से प्राप्त करने का तथ्य भी मुलजिम की ओर से लिये गये बचाव का समर्थन करता है।

22. दौराने बहस परिवादी के विद्वान अधिवक्ता का तर्क कि यदि परिवादी के द्वारा मुलजिम के चैक का दुरुपयोग किया जाता तो उसके द्वारा आपराधिक कार्यवाही की जाती, जबकि मुलजिम की ओर से कोई आपराधिक कार्यवाही नहीं की गई है। जिससे साबित है कि परिवादी द्वारा चैक का दुरुपयोग नहीं किया गया है। उक्त तर्क के संबंध में न्यायालय का मत यह है कि यह कतई आवश्यक नहीं है कि मुलजिम के द्वारा परिवादी के विरुद्ध आपराधिक कार्यवाही की जावे। मुलजिम, परिवादी से गई जिरह व अपनी साक्ष्य के माध्यम से भी अपना बचाव प्रस्तुत कर सकता है। हस्तगत प्रकरण में भी परिवादी से की गई जिरह व अपनी ओर से प्रस्तुत दस्तावेज से परिवादी के मामले को संदिग्ध बनाने में सफल रहा है। ऐसी स्थिति में उक्त तर्क स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

23. न्यायालय का यहां विनम्र मत है कि "विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि अभियुक्त के खिलाफ उठाये गये अनुमान का खंडन करने के लिये अभियुक्त को परिवादी पक्ष के मामले को पूरी तरह से गलत साबित करने की आवश्यकता नहीं है। खंडन को निर्णायक रूप से स्थापित करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन बचाव के समर्थन में न्यायालय के समक्ष ऐसी साक्ष्य प्रस्तुत की जानी चाहिये कि न्यायालय को या तो बचाव के अस्तित्व पर विश्वास करना चाहिये या उसके उसके अस्तित्व को उचित रूप से सम्भावित मानना चाहिये"।

24. स्वयं परिवादी की ओर से प्रस्तुत सम्मानित न्यायिक दृष्टांत माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्णित प्रकरण रंगप्पा बनाम श्री मोहन, आपराधिक अपील संख्या 1020 वर्ष 2010 (एसएलपी (आपराधिक) संख्या 407 वर्ष 2006 से उत्पन्न) निर्णय की तिथि 07–05–2010 में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि धारा 139 परक्राम्य लिखत अधिनियम में चैक के धारक के पक्ष में उपधारणा को खण्डित करने का भार अभियुक्त पर है एवं अभियुक्त उपधारणा को खण्डन करने हेतु "सम्भावना बाहुल्यता" के द्वारा प्रमाणित कर सकता है। इसलिये यदि अभियुक्त "सम्भाव्य प्रतिरक्षा" उत्पन्न करते हुए विधि के प्रर्वतनीय ऋण या दायित्व के संबंध में संदेह उत्पन्न कर दे तो वहां अभियोजन असफल होगा। विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि धारा 139 परक्राम्य लिखत अधिनियम के अंतर्गत की गई उपधारणा खण्डनीय प्रकृति की होती है। इसे खण्डित करने का भार अभियुक्त पर है एवं उक्त खण्डन अभियुक्त के द्वारा परिवादी से दौराने जिरह एवं स्वयं द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर किया जा सकता है। अभियुक्त को स्वयं विटनेस बॉक्स में आने की जरूरत नहीं होती।

25. परिणामस्वरूप प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों तथा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त साक्ष्य के विवेचन से यह प्रमाणित है कि अभियुक्त को अपने विरुद्ध सृजित उपधारणा की सम्भावना की बाहुल्यता की हद तक खण्डन करने के लिये पूर्णतः सफल रहा है तथा परिवादी, अभियुक्त के विरुद्ध आरोपित अपराध संदेह से परे प्रमाणित करने में पूर्णतः असफल रहा है। अतः न्यायालय के मत में अभियुक्त धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप से दोषमुक्त होने योग्य पाया जाता है।

–आदेश–

26. फलतः अभियुक्त **नरेश कुमार पुत्र मोहनलाल, निवासी देईदास, तहसील नोहर, जिला हनुमानगढ़** को धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप से संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त घोषित किया जाता है। अभियुक्त की ओर से हाजरी बाबत पूर्व में प्रस्तुत जमानत–मुचलके तुरन्त प्रभाव से निरस्त किये जाते हैं। अभियुक्त धारा 437 ए दण्ड प्रक्रिया संहिता/481 बी.एन.एस.एस. के तहत 10–10 हजार रुपये के जमानत–मुचलके पेश करे।

(हेतराम मूंड)
अति० मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
रावतसर, हनुमानगढ़।

27. उक्त निर्णय/दण्डादेश आज दिनांक 01–06–2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हेतराम मूंड)
अति० मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
रावतसर, हनुमानगढ़।

SUNIL KUMAR
Steno Grade III
"Authenticated Document
Digitally signed by SUNIL KUMAR
Date: 2026.06.02 12:44:06 +0530